पत्रांक :– 01/स्था॰(प्रो॰)–10–06/2017 –

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

हेमन्त कुमार भक्त,
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख–01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची।

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले),
झारखण्ड रॉची।

प्रबंध निदेशक,
झालको, रॉची।

रॉची, दिनांक :–

विषय:–सहायक अभियंता (यॉत्रिक) से कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु मंत्रिमडल (निगरानी) विभाग, रॉची से स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग में कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति की कार्रवाई की जा रही है। उक्त प्रोन्नति हेतु मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग झारखण्ड रॉची से निगरानी स्वच्छता प्राप्त करने हेतु संलग्न अधियाचना प्रपत्र–'क' में वांछित सूचना की आवश्यकता है।

अतएव अनुरोध है कि संलग्न सूची में अंकित अभियंताओं का मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से निगरानी स्वच्छता उपलब्ध कराने हेतु संलग्न अधियाचना प्रपत्र–'क' में वांछित सूचना 01 (एक) सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के पॉच प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु॰–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह॰/–

(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव(प्र॰)।

ज्ञापांक :– 2607 रॉची, दिनांक :– 20-09-17

प्रतिलिपि:–वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रॉची को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

हे॰कुमार
19-9-17

(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव(प्र॰)।

19/9

D:\PRAMOD 2017\DY. SEC\DRAFT\All Chief Eng. Promotion.doc

पत्र संख्या : नि0वि0 / स्था0–116 / 2004....1294..../ 3150

झारखंड सरकार

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, राँची ।

प्रेषक,

मनोज जायसवाल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक...03/7/15.../

विषय : प्रोन्नति के पूर्व निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु संशोधित अधियाचना प्रपत्र के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 531 दिनांक 02.05.2009 द्वारा प्रोन्नति के पूर्व निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र की अधियाचना एवं प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया है। उक्त की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्तमान समय में प्रचलित निगरानी स्वच्छता हेतु निर्धारित अधियाचना प्रपत्र 'क' के कतिपय सूचना के अभाव के कारण निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत करने में निम्न समस्या उत्पन्न हो रही है :–

1. किसी विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचना प्रपत्रों की सूची में एक ही नाम के अथवा समान उच्चारित नाम के कई व्यक्तियों का स्वच्छता मांगी जाती है, जिनके विगत दो पदस्थापनों के विवरण से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस परिस्थिति में अधियाचित पदाधिकारियों का पूर्ण सेवा विवरणी की अपेक्षा होती है।
2. स्वच्छता हेतु विभिन्न विभागों का अधियाचना पत्र के कंडिका–8 में मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पूर्व में प्रेषित स्वच्छता प्रमाण पत्र का संदर्भ नहीं किया जाता है, जिसके कारण स्वच्छता प्रमाण पत्र तैयार करने में अतिरिक्त श्रम एवं समय व्यय होता है।
3. अधियाचित पदाधिकारियों का स्वच्छता हेतु अधियाचना प्रपत्र में पदाधिकारियों के विगत अतिरिक्त प्रभार (Dual Charge) एवं प्रतिनियुक्तियों का उल्लेख नहीं होता है।
4. कई पदाधिकारियों के द्वारा अपने नाम / उपनाम (Surname) में परिवर्तन किया जाता है, जिससे अधियाचना प्रपत्र में पूर्व के नाम / उपनाम का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत करने में कठिनाई होती है।
5. कैडर अथवा सेवा में परिवर्तन होने की स्थिति में पूर्ण सूचनाओं का प्रचलित प्रपत्र में अभाव पाया जाता है। यथा–कई पदाधिकारी / कर्मी जिला स्तर (शिक्षक आदि) सेवा से सीधी भर्ती परीक्षा अथवा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से राज्य स्तरीय सेवाओं में योगदान करते है। ऐसी स्थिति में इनकी पूर्व सेवा की जानकारी का अभाव रहता है।

अतः अनुरोध है कि भविष्य में प्रोन्नति के पूर्व निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न संशोधित अधियाचना प्रपत्र 'क' में वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्व भाजन
3/7/15
सरकार के उप सचिव।

संजीव / 29.06.2015

मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची से स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु अधियाचना–पत्र का प्रपत्र–'क' (चार प्रतियों में दिया जाय)

1. अधियाचना पत्र भेजने वाले विभाग का नाम :
2. पद का नाम (जिस पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है) :
3. सेवा / संवर्ग का नाम :
4. पदाधिकारी का व्यक्तिगत विवरणी :
   (क) पूरा नाम (प्रथमाक्षर नही) –
   (ख) पिता का नाम –
   (ग) जन्म तिथि –
   (घ) GPF No –
   (ङ.) नियुक्ति के उपरान्त यदि नाम परिवर्तन किया गया है तो पूर्व का नाम एवं परिवर्तन तिथि –
   (च) वर्तमान पदनाम एवं पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार एवं प्रतिनियुक्ति सहित)
5. झारखण्ड राज्य में योगदान की तिथि :
6. पदस्थापन विवरणी (नियुक्ति से अबतक का सेवा इतिहास अंकित किया जाय) सेवा संवर्ग का नाम :

क्र0	मूल पदस्थापन			मूल पदस्थापन के साथ अतिरिक्त प्रभार / प्रतिनियुक्ति		
	पद का नाम	स्थान	पदस्थापन अवधि	पद का नाम	स्थान	अवधि
1						
2						
3						

7. वर्तमान सेवा के पूर्व यदि राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा में रहे हों तो उसका ब्योरा –
8. मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अंतिम स्वच्छता प्रमाण पत्र का पत्रांक एवं दिनांक –

स्थान :

दिनांक :

अधियाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(अधियाची पदाधिकारी का पूरा नाम / पदनाम एवं मुहर सहित जो उप सचिव स्तर से निम्न कोटि का नहीं होगा)

अभियंताओं की सूची

क्र० सं०	अभियंता का नाम	आई० डी०
1.	श्री रणधीर कुमार श्रीवास्तव	M676
2	श्री अखिलेश कुमार कश्यप	M001
3.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	M002
4.	श्री हिमाद्री शेखर झा	M003
5.	श्री सुबोध कुमार	M004
6.	श्री आलोक कुमार भारती	M005
7.	श्री रामेश्वर रविदास	M006
8.	श्री आनन्द किशोर टोप्पनो	M007
9.	श्री सुरजीत विनोद टोप्पनो	M008
10.	श्री मृत्युंजय कुमार देहरी	M009